-पत्र संख्या-विधि -4(1)(15-16)/परिपत्र-भाग-3 487/1516020 // वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर,वाणिज्य कर,उ0प्र0।
(विधि-अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक :: 19 जून, 2015

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक / कारपोरेट सर्किल / वि0अनु0शा0)
उत्तर प्रदेश।

उ0 प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 के अन्तर्गत सचल दल अधिकारियों तथा 20 जनपदों में तैनात अमीनों द्वारा राजकीय धनराशि निर्धारित प्रक्रिया से चालान के माध्यम से बैंको में जमा की जाती है।

उक्त संदर्भ में निर्देश दिये जाते है कि सचल दल अधिकारियों तथा विभागीय अमीनों द्वारा जमा की जाने वाली उपयुक्त राजकीय धनराशि तद्नुसार बिना अपवाद के E-Challan के माध्यम से ही जमा की जायेगी।

E-Challan Generate करने की प्रक्रिया निम्न प्रकार निर्धारित की गयी है।

सचल दल अधिकारियों हेतु

1- सचल अधिकारियों द्वारा Enforcement O.C.S. पर Login किया जायेगा।-

2- Login करने के पश्चात् Main Menu पर उपलब्ध E-Challan Link पर Click किया जायेगा। इसके submenu E-Challan (Mobile) पर तीन विकल्प उपलब्ध होंगें- **Entry, Generation** एवं **Print**।

3- माड्यूल में सचल दल कर्मचारियों द्वारा भी Entry की जा सकती है। यदि E-Challan entry के कर्मचारियों द्वारा की जाती है तो अधिकारियों द्वारा उस entry को Verify किया जाना अनिवार्य होगा। कर्मचारियों द्वारा E-Challan की entry के लिए E-Challan (Mobile) Menu पर उपलब्ध entry लिंक पर Click किया जायेगा।

4- Entry Link पर Click करने पर E-Challan Entry Form Screen पर उपलब्ध हो जायेगा। इसमें सर्वप्रथम पंजी 5 का नम्बर अंकित किया जायेगा। पंजी 5 का नम्बर अंकित करके Proceed पर Click करने पर जमा कराये गये अर्थदण्ड से सम्बन्धित विवरण अंकित करने के लिए Grid उपलब्ध हो जायेगी।

5- इसमें सम्बन्धित व्यापारी का TIN (अपंजीकृत की स्थिति में 0900000000) कारण बताओ नोटिस सं0 दिनांक, अभिग्रहण आदेश व दिनांक तथा वस्तु का नाम व मात्रा तथा वस्तु का मूल्य पूर्व में अंकित किये गये पंजी 5 के विवरण से उपलब्ध हो जायेगा। जिस अभिग्रहण आदेश के विरुद्ध अर्थदण्ड जमा कराया गया है उसके सम्मुख स्थित Check Box पर Tick करके जमानत जमा कराने की रसीद (ST385) सं0, दिनांक व जमा धनराशि अंकित की जायेगी।

6- यदि एक से अधिक पंजी 5 से संबंधित धनराशि अंकित की जानी है तो संबंधित पंजी-5 को अंकित करके पूर्वोक्त की भांति ही रसीद संख्या, दिनांक व जमा धनराशि अंकित की जायेगी।

7- समस्त विवरण को अंकित करके Save करने पर Unique चालान नम्बर जनरेट हो जायेगा।

अधिकारियों द्वारा Verification

1- सचल दल अधिकारी द्वारा Enforcement O.C.S. पर Login किया जायेगा।

2- इसके पश्चात् E-Challan (Mobile) के submenu पर उपलब्ध Verification के लिंक पर Click करने पर E-Challan Verification Form उपलब्ध हो जायेगा। इसके पश्चात् पंजी 5 नम्बर अंकित कर Proceed पर Click करने पर पंजी 5 का विवरण Screen पर उपलब्ध हो जायेगा।

3- Select Challan No. विकल्प में Drop down से उपयुक्त Challan No. को select करने पर कर्मचारी द्वारा अंकित ST385 का विवरण उपलब्ध हो जायेगा। विवरण के सही होने की स्थिति में Update and Verify के बटन पर Click करने पर Challan No. Verify हो जायेगा।

4- उक्त अंकित विवरणों के संदर्भ में चालान जनरेट करने का विकल्प सचल दल अधिकारी के Login पर उपलब्ध है।इसके लिए Enforcement O.C.S. पर Login करके E-Challan (Mobile) के submenu पर उपलब्ध Generation के लिंक पर Click किया जायेगा।इसके पश्चात् सम्बन्धित पंजी 5 का नम्बर अंकित करके पूर्व में Verified E-Challan को dropdown से select करके Proceed for E-Challan के बटन पर Click किया जायेगा।

5- Proceed for E-Challan पर Click करने पर Form I स्क्रीन पर उपलब्ध हो जायेगा। इसके पश्चात् Assessment Year का चयन dropdown से किया जायेगा। Payment mode का चयन dropdown से Cash / Cheque / demand draft में से किया जायेगा। Cheque / demand draft की स्थिति में Cheque/demand draft number तथा date अंकित की जायेगी। इसके पश्चात् बैंक का dropdown से चयन करके branch अंकित की जायेगी। इसके पश्चात् उपयुक्त Head के समक्ष धनराशि अंकित की जायेगी।

6- इसके पश्चात् Submit करके Check n Save entries पर Click करने पर Challan generate हो जायेगा। **Print Option** पर Click करके इसका **Print** निकाला जा सकता है। तत्पश्चात संबंधित धनराशि स्टेट बैंक आफ इण्डिया की राजकीय शाखा में पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जमा की जायेगी।

विभागीय अमीनों हेतु

1- सम्बन्धित अमीनों के द्वारा User ID तथा Password Local Administration के माध्यम से Create कराया जायेगा।

2- अमीन द्वारा Vyas Central Software पर Login करके Main Menu पर उपलब्ध E-Challan के अन्तर्गत E-Challan (Ameen) के Link पर Click किया जायेगा।

3- इसके पश्चात् E-Challan entry form for Ameen के उपलब्ध Form पर Assessment Year का चयन dropdown से करने के पश्चात् Cash / DD / Cheque में से Payment mode का चयन किया जायेगा।

उपयुक्त Head के समक्ष धनराशि को अंकित करके Check n Save entries करने पर challan generate हो जायेगा तथा सम्बन्धित Challan का Print Menu में उपलब्ध Print Option में Challan No. अंकित करके निकाला जा सकता है। तत्पश्चात संबंधित धनराशि स्टेट बैंक आफ इण्डिया की राजकीय शाखा में पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जमा की जायेगी।

सचल दल अधिकारियों तथा अमीन के द्वारा धनराशि जमा करने के पश्चात् VYAS Central Software पर Receipt माड्यूल में Type of Application 'Challan' के अन्तर्गत उपलब्ध E-चालान का विकल्प Select करते हुए रसीद प्राप्त की जायेगी।

उपरोक्त निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सचलदल अधिकारियों /कर्मचारियों द्वारा E-चालान के जनरेशन का कार्य सचल दल इकाई में उपलब्ध के कम्प्यूटर पर किया जायेगा। अमीनों द्वारा E-चालान के जनरेशन का कार्य संबंधित खण्ड कार्यालय/ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्पोरेट) कार्यालय में उपलब्ध कम्प्यूटर पर किया जायेगा तथा संबंधित खण्डाधिकारी/ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्पोरेट) द्वारा अपने कार्यालय में उपलब्ध कम्प्यूटर्स में से एक कम्प्यूटर को चिन्हित कर दिया जायेगा जिस पर अन्य कार्यो के साथ E- चालान जनरेशन का कार्य भी किया जायेगा। जिन स्थानों पर डिप्टी कमिश्नर (क0नि0/कर वसूली/कार्यालयों में कम्प्यूटर उपलब्ध है अथवा उपलब्ध कराया जा सकता है उन स्थानों पर अमीनों द्वारा E-चालान जनरेशन का कार्य डिप्टी कमिश्नर (क0नि0/क0वसूली) कार्यालय में उपलब्ध कम्प्यूटर पर किया जायेगा।

यह व्यवस्था 30-06-2015 तक वैकल्पिक रुप से लागू रहेगी तथा 01-07-2015 से मोबाइल के अधिकारियों तथा विभागीय संग्रह अमीनों द्वारा अनिवार्य रुप से E-Challan के माध्यम से ही राजकीय धनराशि जमा की जाएगी।

उपर्युक्त सम्बन्ध में अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराते तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

18/6/15

(विवेक कुमार)
एडीशनल कमिश्नर(विधि) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0प0सं0 व दिनांक उक्त:

प्रतिलिपि ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(विवेक कुमार)
एडीशनल कमिश्नर(विधि) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।